न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया
राजस्व प्रार्थना पत्र 85/2018

1.गोपाल पुत्र श्री धन्ना ।
2.गणेश पुत्र श्री सेवाराम ।
3. जमनालाल पुत्र श्री सेवाराम ।
4.श्रीमति छोटी पत्नि श्री सेवाराम
सभी जाति जाट निवासीगण ग्राम रामपुरा (मोखमपुरा) ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील विजयनगर जिला अजमेर ।

........प्रार्थीगण

बनाम

1.घीसा पुत्र श्री गोकल।
2.दिनेश पुत्र श्री लादू ।
3.गजराज पुत्र श्री लादू ।
4.चम्मनलाल पुत्र श्री रामकरण ।
5. ईश्वर पुत्र श्री रामकरण ।
सभी जाति जाट निवासीगण ग्राम रामपुरा (मोखमपुरा) ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील विजयनगर जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय विजयनगर जिला अजमेर ।

.............अप्रार्थिगण

राजस्व पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का शिखरानी प्रथम तहसील विजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 213/1 रकबा 22–15–00 बिस्वा उनकी खुदकाश्त से सयुक्त खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतःनियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का शिखरानी प्रथम की जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 14 में खसरा नम्बर 213/1 रकबा 22–15–00 बिस्वा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार विजयनगर को ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का शिखरानी प्रथम स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 213/1 रकबा 22–15–00 बिस्वा में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.11 14:09:33 IST
Reason: SelfAttested